


2.2.2023

26/x

28.12.23 वकील वकील ठपन। प्रविभागीय एकात्मता।
परपत्र वारंते वकील माध्य आदेशिका
6.2.24 को प्रि बा


सहायक कमिश्नर
SDO सिणधरी


6.2.24 वकील वकील उप.1 प्रविभागीय एकात्मता।
परपत्र वारंते वकील माध्य आदेशिका 27-2-24

को प्रि बा 
सहायक कमिश्नर
SDO सिणधरी


27.2.24 वकील वकील उप.1 प्रविभागीय एकात्मता।
परपत्र वारंते वकील माध्य आदेशिका 20-3-24 को
प्रि बा।


सहायक कमिश्नर
SDO सिणधरी

20-3-24 वकील वकील उप.1 प्रविभागीय एकात्मता।
परपत्र वारंते वकील माध्य आदेशिका 15-5-24 को प्रि
बा।


सहायक कमिश्नर
SDO सिणधरी

15-5-24 परपत्र प्रि उप.1
वकील एवं उनके वकील अनुपस्थित।
आज न्यायालय समय में सुनवाई तीन बार आयोजित किया।
जाने एवं अक्षयन होने से पूर्व एक बार प्र. कावात किया। जाने
के उपरोक्त वकील एवं उनके वकील से कि (क) के (क) उपस्थित नहीं
होने से लाइज होता है कि वे बाद में प्रेरी नहीं करना चाहते कि
सिद्धांत वकील के उनके वकील के अनुपस्थिति में वाद अक्षय
स्तर अक्षय हाथी एवं अक्षय प्रेरी में यादिक किया जाता है।
परपत्र प्रि उप.1 वकील वकील उप.1


सहायक कमिश्नर
SDO सिणधरी